रजिस्ट्री सं० डी०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 152] नई दिल्ली, बुधवार, जून 27, 2012/आषाढ़ 6, 1934
No. 152] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 27, 2012/ASADHA 6, 1934

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2012

फा. सं. 6(1)/95-नालसा.—केन्द्रीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 10 के साथ पठित सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री ए. के. पटनायक को उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष नामांकित करता है और दिनांक 9-2-2000 की अपनी अधिसूचना सं. 115(अ) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उच्च अधिसूचना में क्रम संख्या 1 और उससे संबद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"1. न्यायमूर्ति श्री ए. के. पटनायक —अध्यक्ष"
न्यायधीश, भारत उच्चतम न्यायालय

यू. शरतचन्द्रन, सदस्य सचिव

[विज्ञापन III/4/123/12/असा.]

पाद टिप्पण :—उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के गठन से संबंधित मूल अधिसूचना का.आ. 115(अ), दिनांक 9-2-2000 द्वारा प्रकाशित की गई थी तत्पश्चात् दिनांक 25-2-2000, 20-8-2000, 22-11-2001, 29-5-2002, 1-1-2003, 10-4-2003, 25-9-2003, 8-3-2004, 8-6-2004, 18-7-2005, 11-11-2005, 11-7-2006, 15-2-2007, 21-10-2008, 13-5-2009, 11-8-2009, 18-1-2010 एवं 18-10-2011 की अधिसूचना द्वारा संशोधित की गई थी ।

NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2012

F. No. 6(1)/95-NALSA.—In exercise of the powers conferred by Section 3A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987) read with Rule 10 of the National Legal Services Authority Rules, 1995, the Central Authority hereby nominates Mr. Justice A. K. Patnaik, Judge, Supreme Court of India, as Chairman of the Supreme Court Legal Services Committee and makes the following amendments in its Notification No. S.O. 115(E), dated the 9th February, 2000, namely :—

In the said Notification, for the serial number (1) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

1. "Mr. Justice A. K. Patnaik —Chairman"
Judge, Supreme Court of India.

U. SARATHCHANDRAN, Member Secy.

[ADVT. III/4/123/12/Exty.]

Foot Note :—The principal notification constituting the Supreme Court Legal Services Cmmittee was published *vide* S.O. 115(E), dated 9-2-2000 and was subsequently amended *vide* Notifications dated 25-2-2000, 20-8-2000, 22-11-2001, 29-5-2002, 1-1-2003, 10-4-2003, 25-9-2003, 8-3-2004, 8-6-2004, 18-7-2005, 11-11-2005, 11-7-2006, 15-2-2007, 21-10-2008, 13-5-2009, 11-8-2009, 18-1-2010 and 18-10-2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.